हुक्म		तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/1/19	वकुलांए फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में संक्षिप्त निवेदन किया है, कि मौजा शिखरानी तहसील मसूदा में स्थित साबिक खसरा नंबर 2581 रकबा 29–10–00 हाल खसरा नंबर 3219/4507 रकबा 02–04–00 किस्म बारानी–3 स्थित है, उक्त साबिक खसरा नंबर 2581 के हाल खसरा नंबर 3219/4507 भूमि पर प्रार्थी सहित अप्रार्थी संख्या 1, 2 से 6 के पिता व पति गोपाल उर्फ रामगोपाल तथा प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 मृतक गोपाल उर्फ रामगोपाल की माता श्रीमति हस्तु बैवा बालू को कब्जे काश्त के आधार पर नामान्तकरण संख्या 915 के जरिये नियमन करते हुये गैरखातेदारी अधिकार दिये गये तथा वर्तमान राजस्व जमाबंदी संवत 2065–68 में खातेदार दर्ज है, प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 की माता एंव अप्रार्थी संख्या 2 से 6 की दादी व सास श्रीमति हस्तु बैवा बालू की मृत्यु हो चुकी है किन्तु राजस्व अभिलेख में विरासती दाखिल खारीज नही होने से बतौर खातेदार नाम दर्ज चला आ रहा है। वर्तमान सेटलेंट संवत 2027–2028 में हुआ उसमें साबिक खसरा नंबर 2581 नये खसरा नंबर 3219/4507 के पश्चिम में अप्रार्थी संख्या 7 से 17 की कृषि भूमि व चाह खसरा नंबर 1668, 1669, 1670 स्थित है, जो मौके के अनुसार राजस्व नक्शा सन् 1970–1971 में बिल्कुल सही नक्शा बना हुआ है। तथा सेटलमेंट अधिकारीयो ने जो नक्शा बाद में बना दिया है, जहां खसरा नंबर 1668, 1690 से वादगस्त आराजी खसरा नंबर 3219/4507 के विभाजन की लाईन खसरा नंबर 1669 से प्रारंभ होकर दक्षिण की और स्थित खसरा नंबर 1620 की उत्तरी मेड के बीचो बीच समाप्त हो जाती है, किन्तु सेटलेंट अधिकारी इस विभाजन लाईन को उपरोक्त वर्णित स्थान से हटाकर खसरा नंबर 1668 उत्तरी पूर्वी भाग की मेड से पूर्व से पश्चिम आम रास्ते तक की लम्बाई तक अंकित कर दिया जिसके कारण वादग्रस्त आराजी दो भागो में विभाजित हो गई तथा वर्तमान राजस्व नक्शा के अनुसार वादग्रस्त आराजी का आधा दक्षिणी भाग खसरा नंबर 1668, 1669 की सीमा में मिल गया। इस प्रकार राजस्व नक्शे के विपरित विभाजन लाईन अंकित किये जाने से विवाद की स्थिति पैदा हो गई तथा प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से 6 एंव अप्रार्थी संख्या 7 से 20 के आपस में लडाई झगडा पैदा हो गये है, जिसे दुरूस्त किया जावे। विधि का यह सिद्धान्त है कि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के किसी भी सेटलमेंट अधिकारी को नक्शे में बदलाव करने का कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थी के हक में प्रथम दृष्टिया मामला बनता है, तथा सहुलियत का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है, तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया	

(पर्वतसिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

लगातार

जाता है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 7 से 17 को जरिये निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल नही करे तथा दौराने सुनवाई प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 से 18 अपने नाजायज कृत्य में सफल हो जावे तो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिवस की स्थिति पुनः अप्रार्थीगण के खर्चे से कायम की जाने की आदेश प्रदान करने की कृपा करावे।

अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतू पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नही करने की सूरत में उनके जवाब का हक बन्द किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के विषय में अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार प्रार्थी के हक में प्रथम दृष्टया केस व सहुलियत का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु होना पाया जाता है। किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुतोष में कब्जे का अनुतोष भी चाहा गया है, जो कि मूल वाद में दोनो पक्षो की साक्ष्य के आने बाद तय किया जायेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0 अधि0 अप्रार्थीगण के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण 7 लगायत 17 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है, कि मौजा शिखरानी तहसील मसूदा में स्थित साबिक खसरा नंबर 2581 रकबा 29–10–00 हाल खसरा नंबर 3219/4507 रकबा 02–04–00 किस्म बारानी–3 भूमि मे उक्त अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उपस्थित नही करे। पक्षकारान खर्चा अपना अपन वहन करे।

अतः आदेश सुनाया गया।

(पर्वतसिंह चण्डावत)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

(पर्वतसिंह चण्डावत)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.13 17:32:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: